AAP-A
Crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मुकाम ______________________

बनाम ______________________

नं. ______________ सन् ______________

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
पत्रावली पेश हुई। ... अधिकार ... प्राप्त होने ... दिनांक 25/6/19 ... को पेश हो। आज्ञा से।	
25/6. पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप० मिसल वास्ते बहस हेतु पत्रावली दिनांक 5/7/19 को पेश हो।	
पत्रावली पेश हुई। ... अधिकार ... प्राप्त होने ... दिनांक 5-7-19 ... को पेश हो। आज्ञा से।	
5/7/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की पैत्रक खातेदारी की भूमि है। जिसके आधार पर घोषणा हेतु वादपत्र पेश किया है। दोहराने वाद [illegible] खुर्द-बुर्द होने से बचाने [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] अप्रार्थीगण उचित है। साथ ही बताया (?) [illegible] की ओर से प्रार्थना-पत्र का कोई खण्डन नहीं है। तथा इकबालिया जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया। अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:10:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जाकर वादग्रस्त अराजी की मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादग्रस्त भूमि पूर्व में मथुरा की खातेदारी भूमि थी। मथुरा के देहान्त के पश्चात् नामान्तरणकरण सं. 72 स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की गई। जो अप्रार्थीगण बेचान करने हेतु आमदा है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। तथा अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को इस कदर पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि तह. ओसियां के ग्राम प्रतापनगर के ख.नं. 125 रकबा(01) बीघा भूमि की तफैसला दावा मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर, ओसियां

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:10:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner